रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2019/कार्तिक 30, 1941
No. 683] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 866(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उप धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध निदेशक (श्रोता अनुसंधान), उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान), और श्रोता अनुसंधान अधिकारी से है और आकाशवाणी (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध अन्वेषक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में निदेशक (श्रोता अनुसंधान), संयुक्त निदेशक (श्रोता अनुसंधान), उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान), श्रोता अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-I, सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड- II और अन्वेषक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रांरभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (श्रोता अनुसंधान पद) भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—यह नियम इन नियमों के लिए संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होती हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. निदेशक (श्रोता अनुसंधान)	2* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण-1.- प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय, निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण-2.- यह नियम केंद्रीय सरकार से निदेशकों (श्रोता अनुसंधान) की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगी, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल 13 (123100-215900 रू)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती से या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति: टिप्पण-1.- प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए	वेतन मेट्रिक्स स्तर 12 (78800-209200 रू) में के ऐसे संयुक्त निदेशक (श्रोता अनुसंधान) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके ना हो सकने पर ऐसे संयुक्त निदेशक (श्रोता अनुसंधान) जिन्होंने संयुक्त निदेशक (श्रोता अनुसंधान) और वेतन	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती - अध्यक्ष	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	कर्मचारियों के दो वर्गों अर्थात् निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी। टिप्पण-2.- ऐसी रिक्तियां, जो प्रोन्नति द्वारा भरी नहीं गई हैं, वे निगम द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों अर्थात् प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (श्रोता अनुसंधान पद) सेवा विनियम 2002 के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी।	मेट्रिक्स स्तर 11 (67700-208700 रू) में उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान) के रूप में दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो, जिसमें कम से कम तीन वर्ष संयुक्त निदेशक (श्रोता अनुसंधान) के रूप में हो। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 4. महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. संयुक्त निदेशक (श्रोता अनुसंधान)	2* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण-1.- प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर समझने पर सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण-2.- यह नियम केंद्रीय सरकार से संयुक्त निदेशकों (श्रोता अनुसंधान) की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगी, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनतुसचिवीय	स्तर 12 (78800-209200 रू)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति: टिप्पण.- प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गों अर्थात् निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 11 (67700-208700 रू) में के ऐसे उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके ना हो सकने पर ऐसे उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान) जिन्होंने उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान) और वेतन मेट्रिक्स स्तर 10 (56100-177500 रू) में श्रोता अनुसंधान अधिकारी के रूप में दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो, जिसमें कम से कम दो वर्ष उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान) के रूप में हो। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 4. महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान)	06* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण-1.- प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर समझने पर सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण-2.- यह नियम केंद्रीय सरकार से उप निदेशकों (श्रोता अनुसंधान) की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगी, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 11 (67700-208700 रू)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नतिः टिप्पण.- प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गों अर्थात् निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 10 (56100-177500 रू) में के ऐसे श्रोता अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	ग्रुप 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक, आकाशवाणी – सदस्य 3. उप महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. श्रोता अनुसंधान अधिकारी	54* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण-1.- प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 10 (56100-177500 रू)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर समझने पर सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण-2.- यह नियम केंद्रीय सरकार से उप निदेशकों (श्रोता अनुसंधान) की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगी, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।						

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	प्रोन्नति: टिप्पण-1.- प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गो अर्थात् निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी। टिप्पण-2.- किसी विशेष वर्ष में होने वाली रिक्तियां निम्न प्रकार भरी जाएंगी:- i. 25 % रिक्तियां इन नियमों के आधीन प्रसार भारती में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवकों की प्रोन्नति द्वारा और निगम द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियम अर्थात् प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (श्रोता अनुसंधान पद) सेवा विनियम 2002 के आधीन प्रसार भारती के कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी ii. वे रिक्तियां, जो प्रोन्नति द्वारा भरी नहीं गई हैं, निगम द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी। iii. 75 % रिक्तियाँ, प्रसार भारती द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों अर्थात प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (श्रोता अनुसंधान पद) सेवा विनियम, 2002 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 8 (47600-151100 रू) में के ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-। जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके ना हो सकने पर ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-। जिन्होंने सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-। और वेतन मेट्रिक्स स्तर 7 (44900-142400 रू) में सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-।। के रूप में चार वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो, जिसमें कम से कम एक वर्ष सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-। के रूप में हो। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – सदस्य 3. उप महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य 4. निदेशक (श्रोता अनुसंधान), आकाशवाणी - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए): 1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय – सदस्य 3. उप महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य 4. निदेशक (श्रोता अनुसंधान), आकाशवाणी - सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-।	13* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण-1.- प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर समझने पर सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 8 (47600-151100 रू)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	टिप्पण-2.- यह नियम केंद्रीय सरकार से सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-1 की अधिवर्षिता विद्यमान रहेंगी, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।						

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति: **टिप्पण 1:-** प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गो अर्थात् निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी। **टिप्पण-2.-** ऐसी रिक्तियां, जो प्रोन्नति द्वारा भरी नहीं गई हैं, वे निगम द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों अर्थात् प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (श्रोता अनुसंधान पद) सेवा विनियम 2002 के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 7 (44900-142400 रू) में के ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-।। जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके ना हो सकने पर ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-।। जिन्होंने सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-।। और वेतन मेट्रिक्स स्तर 6 (35400-112400 रू) में अन्वेषक के रूप में छः वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो, जिसमें कम से कम एक वर्ष सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-।। के रूप में हो। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती - अध्यक्ष 2 उप महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य 3. निदेशक (श्रोता अनुसंधान), आकाशवाणी - सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-।।	25* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पण-1.-** प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण-2.-** यह नियम केंद्रीय सरकार से सहायक अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-।। की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगी, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 7 (44900-142400 रू)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति: टिप्पण.- प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गो अर्थात निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी	वेतन मेट्रिक्स स्तर 6 (35400-112400 रू) में के ऐसे अन्वेषक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती - अध्यक्ष 2 उप महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य 3. निदेशक (श्रोता अनुसंधान), आकाशवाणी - सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी।	किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. अन्वेषक	95* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पण-1.-** प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण-2.-** यह नियम केंद्रीय सरकार से अन्वेषक की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगी, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6 (35400-112400 रू)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	प्रोन्नति: **टिप्पण:-** स्टेटिस्टिक्ल कंप्यूटर के फीडर ग्रेड पद को डाइंग कैडर के रूप में घोषित किया गया है। केवल दो स्टेटिस्टिक्ल कंप्यूटर स्थिति में हैं। ये नियम तब तक लागू होते हैं, जब तक कि स्टेटिस्टिक्ल कंप्यूटर के पद पर विद्यमान पदधारीयों की इन नियमों के अधीन प्रोन्नति नहीं हो जाती है या स्टेटिस्टिक्ल कंप्यूटर के रूप में सेवा में नहीं रहते हैं, जो भी पहले हो। इस शर्त के अधीन, अन्वेषक पद के सभी रिक्त पदों को निगम द्वारा अधिसूचित भर्ती वीनियमों अर्थात प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (श्रोता अनुसंधान पद) सेवा विनियम, 2002 द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 5 (29200-92300 रू) में के ऐसे स्टेटिस्टिक्ल कंप्यूटर जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): 1. क्षेत्र के मेट्रों स्टेशन के अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान) - अध्यक्ष 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य 4. यथोचित स्थिति के अधिकारी उचित होगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से हो - सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): 1. क्षेत्र के मेट्रों स्टेशन के अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (श्रोता अनुसंधान) - अध्यक्ष 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य 4. यथोचित स्थिति के अधिकारी उचित होगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से हो - सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2018-बीएपी]

अंजु निगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, 21st November, 2019

G.S.R. 866(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (1) and (2) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) and in supersession of All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the posts of Director (Audience Research), Deputy Director (Audience Research), and the Audience Research Officer and All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Investigator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director (Audience Research), Joint Director (Audience Research), Deputy Director (Audience Research), Audience Research Officer, Assistant Research Officer Grade-I, Assistant Research Officer Grade-II and Investigator in the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prasar Bharati (Audience Research Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay level in pay matrix.—The number of posts, their classification and pay level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Director (Audience Research).	2* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note-1:- The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note-2:- These rules shall cease to exist on the superannuation of all Directors (Audience Research) from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13 (Rs. 123100-215900)	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion: Note-1:- The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. Note-2:- The vacancies, which may remain unfilled by promotion, shall be filled up by deputation as per the recruitment regulations notified by the Corporation, namely, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Audience Research Posts) Service Regulations, 2002.	Joint Director (Audience Research) in level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix with five years' regular service in the grade failing which Joint Director (Audience Research) with ten years' combined regular service as Joint Director (Audience Research) and Deputy Director (Audience Research) in level 11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix, out of which at least three years shall be as Joint Director (Audience Research). Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Chief Executive Officer, Prasar Bharati- Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member; 3. Director General, All India Radio- Member; 4. Director General, Doordarshan- Member.	Consultation with Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Joint Director (Audience Research).	02* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note-1:- The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note-2:- These rules shall cease to exist on the superannuation of all Joint Directors (Audience Research) from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 (Rs. 78800-209200)	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Promotion: Note:- The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.	Deputy Director (Audience Research) in level 11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years' regular service in the grade failing which Deputy Director (Audience Research) with ten years' combined regular service as Deputy Director (Audience Research) and Audience Research Officer in level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix, out of which at least two years shall be as Deputy Director (Audience Research). Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Chief Executive Officer, Prasar Bharati- Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member; 3. Director General, All India Radio- Member; 4. Director General, Doordarshan- Member.	Consultation with Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Deputy Director (Audience Research).	06* (2019) *Subject to variation dependent on workload Note-1:- The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, It shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 (Rs. 67700-208700).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

	Note-2:- These rules shall cease to exist on the superannuation of all the Deputy Directors (Audience Research) from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.						

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Promotion. Note:- The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.	Audience Research Officer in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Member (Personnel), Prasar Bharati- Chairperson; 2. Deputy Director General, All India Radio- Member; 3. Deputy Director General, Doordarshan- Member.	Consultation with Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Audience Research Officer.	54* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note-1:- The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note-2:- These rules shall cease to exist on the superannuation of all Audience Research Officers from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs. 56100-177500).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	Promotion: Note-1:- The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. Note-2:- The vacancies arising in a particular year shall be filled up in the following manner:- i. Twenty-five percent vacancies shall be filled up by promotion of	Promotion from amongst Assistant Research Officer Grade-I in level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with two years' regular service in the grade or Assistant Research Officer Grade-I with four years of combined regular services as Assistant Research Officer Grade-I and Assistant Research Officer Grade-II in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix, out of which at least one year shall be as	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Member (Personnel), Prasar Bharati- Chairperson; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member; 3. Deputy Director General, Doordarshan- Member; 4. Director (Audience Research), All India Radio-	Consultation with Commission not necessary.

		Government servants on deemed deputation to Prasar Bharati under these rules and by promotion of Prasar Bharati employees under the recruitment regulations notified by the Corporation, namely, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Audience Research Posts) Service Regulations, 2002. ii. The vacancies which remain unfilled by promotion shall be filled by deputation under the recruitment regulations notified by the Corporation; iii. Seventy-five percent vacancies shall be filled up by direct recruitment under the recruitment regulations notified by the Corporation, namely, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Audience Research Posts) Service Regulations, 2002.	Assistant Research Officer Grade-I. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation): 1. Member (Personnel), Prasar Bharati- Chairperson; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member; 3. Deputy Director General, Doordarshan- Member; 4. Director (Audience Research), All India Radio- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Assistant Research Officer Grade-I.	13* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note-1:- The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note-2:- These rules shall cease to exist on the superannuation of all Assistant Research Officers Grade-I from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 (Rs. 47600-151100).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Promotion: Note-1:- The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. Note-2:- The vacancies, which may remain unfilled by promotion, shall be filled up by deputation as per the recruitment regulations notified by the Corporation, namely, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Audience Research Posts) Service Regulations, 2002.	Assistant Research Officer Grade-II in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with two years' regular service in the grade failing which Assistant Research Officer Grade-II with six years combined regular service as Assistant Research Officer Grade-II and Investigator in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix, out of which at least one year shall be as Assistant Research Officer Grade-II. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Member (Personnel), Prasar Bharati- Chairperson; 2. Deputy Director General, Doordarshan- Member; 3. Director (Audience Research), All India Radio- Member.	Consultation with Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Assistant Research Officer Grade-II.	25* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note-1:- The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note-2:- These rules shall cease to exist on the superannuation of	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

	all Assistant Research Officers Grade-II from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.							

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion: Note:-The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.	Investigator in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):- 1. Member (Personnel), Prasar Bharati- Chairperson; 2. Deputy Director General, Doordarshan- Member; 3. Director (Audience Research), All India Radio- Member.	Consultation with the Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Investigator.	95* (2019) *Subject to variation dependent on workload. Note-1:- The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note-2:- These rules shall cease to exist on the superannuation of all Investigators from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Promotion: Note:- The feeder grade post of Statistical Computer has been declared as a dying cadre. Only two Statistical Computers are in position. These rules shall, therefore, be applicable to promotion till the existing incumbents of the post of Statistical Computer are promoted under these rules or cease to be in service as Statistical Computer, whichever is earlier. Subject to this condition, all the vacancies in the post of Investigator shall be filled by direct	Statistical Computer in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the grade. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):- 1. Head of the Metro station of the zone- Chairperson; 2. Deputy Director (Audience Research)- Member; 3. Senior Administrative Officer- Member; 4. An officer of appropriate status preferably belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe- Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- 1. Head of the Metro station of the zone- Chairperson; 2. Deputy Director (Audience Research)- Member;	Consultation with the Commission not necessary.

		recruitment under the recruitment regulations notified by the Corporation, namely, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Audience Research Posts) Service Regulations, 2002.	higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	3. Senior Administrative Officer- Member; 4. An officer of appropriate status preferably belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe- Member.	

[F. No. A-12018/2/2018-BAP]

ANJU NIGAM, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.23 13:28:41 +05'30'